न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 52 वर्ष 2023

आवेदक–रमण मॉझी वगैरह
ग्राम – लुकैया
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– विश्वनाथ मॉझी वगैरह
ग्राम –लुकैया
थाना पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

28/07/23

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. रमण कुमार मॉझी पिता स्व0 मान सिंह मॉझी 02. राजेश सोरेन पिता स्व0 लोधे सोरेन 03. गोपीचन्द सोरेन पिता स्व0 सीवान सोरेन निवास ग्राम लुकैया थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
लुकैया	63	32	264	4.03 ए0	09 डी0	
		32	264	4.03 ए0	09 डी0	

को वे अपने–अपने आवश्यक कार्य हेतु मो0 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये में क्रेतागण– 01. विश्वनाथ मॉझी 02. कृष्ण मॉझी 03. दशरथ मॉझी 04. साहेबराम मॉझी निवास ग्राम लुकैया थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 802/रा0 दिनांक 21.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध मे अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 686 दिनांक 28.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेतागण एवं क्रेतागण संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेतागण एवं केतागण का मूल पता एवं वर्तमान पता लुकैया एवं थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में चुड़ू मॉझी वल्द रोपाय मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी मतल मॉझी पिता चुड़ू मॉझी के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ सं0 2/43 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत/जमाबंदीधारी रैयत से बिकेतागण का संबंध छरआजा–छरपोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेतागण के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेतागण का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेतागण को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके खतियानी जमीन है तथा जमाबन्दी मतल मॉझी पिता चुडू मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेतागण का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदकगण के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेतागण– चुडू मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, चुडू मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेतागण– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेतागण एवं क्रेतागण संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेतागण एवं केतागण ग्राम दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण के खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदकगण 01. रमण कुमार मॉझी पिता स्व0 मान सिंह मॉझी 02. राजेश सोरेन पिता स्व0 लोधे सोरेन 03. गोपीचन्द सोरेन पिता स्व0 सीवान सोरेन निवास ग्राम लुकैया थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
लुकैया	32	264	4.03 ए0	09 डी0	श्यालाल मॉझी वगैरह	बलदेव मॉझी वगैरह	अकलु मॉझी	अकलु मॉझी
	32	264	4.03 ए0	09 डी0	नीज केतागण	रास्ता एवं केतागण	शिबा मॉझी वगैरह	बिष्टु मॉझी वगैरह
कुल 18 डी0 (अठारह डिसमिल जमीन मात्र।)								

मो0 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण– 01. विश्वनाथ मॉझी 02. कृष्ण मॉझी 03. दशरथ मॉझी 04. साहेबराम मॉझी निवास ग्राम लुकैया थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.24 14:12:48 +05:30
Location: 192.168.126.43